प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

विषय :राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए **Twin Pack Engine Assy. SI. No. PCE-TG0433** पर **Hot Section Inspection (H.S.I.) and Overhaul** का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-217/ना0उ0नि0/बी-2/2018(पी), दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 के इंजिन **PT6T-3D,** मॉडल **Twin Pack Engine Assy. SI. No. PCE-TG0433** में लगे दोनों **Power Sections** जिसका सीरियल नम्बर-**CP-PS-TH0883** एवं **CP-PS-TH08**84 है, का **Hot Section Inspection (H.S.I.)** तथा **Combining Gear Box** जिसका सीरियल नम्बर **CP-GB-TJ-0457** है, का ओवरहाल निर्माता कम्पनी मे0 प्राट एण्ड विटनी, कनाडा से ई-मेल द्वारा प्राप्त बजटरी कोटेशन के अनुसार कराए जाने हेतु रू0 5,31,36,160/- (रूपये पॉच करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) (603820.00 यू0एस0 डॉलर, विनिमय दर रूपये 80/- प्रति यू0एस0 डॉलर तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा लखनऊ में साख पत्र खोले जाने हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपये 48,30,560/- को सम्मिलित करते हुए) का आगणन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उक्त धनराशि अग्रिम रूप से आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर लगे हुए **Twin Pack Engine Assy. SI. No. PCE-TG0433** पर **Hot Section Inspection (H.S.I.)** तथा **Combining Gear Box** का ओवरहाल करने हेतु रूपये 5,31,36,160/-(रूपये पॉच करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र) (603820.00 यू0एस0 डॉलर, विनिमय दर रूपये 80/- प्रति यू0एस0 डॉलर तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा लखनऊ में साख पत्र खोले जाने हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपये 48,30,560/- को सम्मिलित करते हुए) के व्यय की वित्तीय

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि के भुगतान के समय रूपया एवं डॉलर की विनिमय दर की निरन्तर परिवर्तनशीलता के अनुसार भुगतान की धनराशि सुनिश्चित की जाएगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि फर्म को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराए जाने का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

**2-** उक्त हेलीकाप्टर के प्रश्नगत इंजिन **PT6T-3D,** मॉडल **Twin Pack Engine Assy. SI. No. PCE-TG0433** पर **Hot Section Inspection (H.S.I.)** तथा **Combining Gear Box** का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा "लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-967/दस-2018 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या:107/2018/1928/छप्पन-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।